

बिहार में 'आयुष्मान भारत' कार्ड जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने [आयुष्मान भारत योजना](#) के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- केवल छह दिनों में (8 मार्च सुबह 11 बजे तक) **1.03 करोड़ परिवारों** को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया गए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल मालिका है और वे प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।
- राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, छह दिवसीय अभियान में **सबसे अधिक 5,99,609 आयुष्मान भारत कार्ड सीवान ज़िले में जारी किए गए**, इसके बाद मुज़फ़्फ़रपुर में 5,44,018, पटना में 5,00,292 और मधुबनी में 4,72,977 कार्ड जारी किए गए।
- जिन ज़िलों में विशेष अभियान में **एक लाख से कम आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए**, वे हैं- मुंगेर (99,984), कशिनगंज (76,861), शेखपुरा (58,132) और शिवहर (47,288)।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित **वर्ष की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना** है।
- इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए **प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है**।
- स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व नदिन की लागत शामिल है।
- लाभार्थी:**
 - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शेष (अपरामाणित) SECC परिवारों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- वित्तीयन:**
 - इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं वधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के लिये 90:10 और वधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- केंद्रक अधिकारी:**
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
 - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- इसे **10 सितंबर, 2013** को अधिसूचित किया गया था।
- इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहीनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें **खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान** करना है।
- इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये **ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत**।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रता:
 - राज्य सरकार के दश-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
 - अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधान:
 - प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
 - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रतिपरिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
 - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
 - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
 - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
 - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ayushman-bharat-cards-issued-in-bihar>

